



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.01.2025

विषय:- कुल 20 लीटर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त रवि कुमार थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन व वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा हडियाडीह गेट के पास से अभियुक्त रवि कुमार पुत्र अमरजीत नोनिया निवासी केताकी थाना देव जिला औरंगाबाद बिहार हाल पता निवासी मुनारी प्रांजल भट्टा के पास थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को दिनांक- 22.01.2025 को समय करीब 13.30 बजे कुल 20 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 53/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

रवि कुमार पुत्र अमरजीत नोनिया निवासी केताकी थाना देव जिला औरंगाबाद बिहार हाल पता निवासी मुनारी प्रांजल भट्टा के पास थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

हडियाडीह गेट के पास से, दिनांक 22.01.2025 को समय करीब 13.30 बजे।

बरामदगी का विवरण- कुल 20 लीटर अवैध देशी शराब बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 53/2025 धारा 60 EX Act थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 कमल सिंह यादव, उ0नि0 शिवप्रकाश वर्मा, उ0नि0 जितेन्द्र सिंह, का0 धीरेन्द्र प्रताप थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।